न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:— श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 90/2017

बनवारीलाल पुत्र मैराराम जाति जाट निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यारेआम देवेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी नई मण्डी घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—रैस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधि. 1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 14.06.2017

उपस्थिति:—

श्री जलविन्द्र सिंह भंगू अभिभाषक अपीलांट

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 30.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष रकबा बहाल कर बकाया राशि जमा करवाने बाबत प्रा.पत्र पेश किया। उक्त प्रा.पत्र में प्रार्थी ने अंकित किया कि प्रार्थी को चक 2 के.एच.एम. के मु.नं. 37/8, 37/16 का कुल 40 बीघा भूमि दिनांक 28.09.1980 को आवंटन हुई थी। मौके पर रकबा खाली है। प्रार्थी का रकबा बहाल कर किश्त जमा करवाने का आदेश फरमावे। उपखण्ड अधिकारी घडसाना ने तहसीलदार घडसाना से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 14.06.2017 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

30/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष की बहस पर सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र विधि विरूद्ध खारिज किया है। अपीलांट ने कथन किया कि यह मामला सामान्य आवंटन का नहीं था बल्कि अलाटशुदा भूमि के बदले में अन्य भूमि देने का था। अपीलांट ने अपील में हुई देरी बाबत दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अधी. न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट को चक 2 के.एच. एम. की 40 बीघा अनकमाण्ड भूमि के बदले में प्रस्तावित भूमि का आदेश दिया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.06.17 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय मे दिनांक 05.09.2017 को पेश की। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 के प्रा.पत्र का रेस्पो. द्वारा जबाब मय शपथ पत्र खण्डन नहीं करने से अपीलांट की अपील न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 14.06.17 के विरूद्ध पेश हुई। जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रा.पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि प्रार्थी को किया गया आवंटन कब्जा नहीं लेने के कारण खारिज किया गया है। कब्जा के अभाव में खारिज हुए रकबा को बहाल करने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार

30/11/17

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नहीं है जबकि अधी.न्यायालय Alloting Authority होकर कार्यवाही की जानी अपेक्षित होने से निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित किया है कि उसे आवंटन आदेश के अनुसार कमांक 6016–19 दिनांक 3.10.1980 को आवंटन हुआ था। अपीलांट उक्त रकबे की बकाया किश्तें जमा करवाना चाहता है।

अधी. न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.06.2017 को इस आधार पर अपीलांट का प्रा.पत्र खारिज कर दिया कि कब्जा अभाव के कारण खारिज हुए रकबा का बहाल करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत रकबा बहाली इसी स्तर पर खारिज किया जाता है जो विधि अनुसार उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी घडसाना का आदेश दिनांक 14.06.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रकरण वैकल्पिक आवंटन का मानते हुए पक्षकारों को सुनकर विधि एवं गुणावगुण अनुसार पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/11/17

(प्रेमसिंह परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर